

क्रमांक- 15/1/18

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल में
जारी हुए।

किसी का हुक्म। वकील वादीगण प्रतिवादीगण
वकील। पत्रावली मय आदेशानुसार
15/1/18 को पेश हो

के
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी स्वयं वादी
स्वयं दाखिल की। वादी मजिस्ट्रेट स्वयं
पेश स्वयं की। बार-बार आवाज
लगायी गई। न तो वकील वादी
स्वयं दाखिल हुए और न ही
इनका कोई प्रतिनिधि या वादी स्वयं
दाखिल मजालत आयें। अतः वाद वादी
बाबत चौफालतक स्वामी निषेधाज्ञा स्वयं
शुद्ध घोषित करने नामान्तरण सं. 317, 335,
517, 529 तथा विक्रमपत्र दिनांक 7.9.09.
अदम दाखिल अदम पेश की में खासियत
किया जाता है। पत्रावली केवल सुमार केवल
नम्बर के कम हो दाखिल एक्टर
हो।
किन्तु सुले न्यायालय में सुनाया
गया।

के
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी